

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

आदेशः

भोपाल, दिनांक 16-08-18

- कमांक एफ 44-10/2018/20-2: राज्य शासन समसंख्यक आदेश दिनांक 22.06.2018 की कडिका 6.1 अनुसार अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30(1) के प्रावधान अनुसार ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रहेंगे। इन महाविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश इन्हीं नियमों के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर दिये जाएंगे।" को विलोपित करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:-
- 2/ मानीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण टीएमए पाई (सुप्रा) के निर्णय में दिये गये गाईड लाईन के अनुरार कार्यवाही करते हुए अल्पसंख्यक अशासकीय महाविद्यालयों को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में तत्काल प्रभाव से सम्मिलित किया जाता है। अल्पसंख्यक अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदनों एवं इनके द्वारा अभ्यर्थियों को दिये गये प्रवेश की सूची ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की जावेगी। शेष बची सीटों पर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के तहत सीट आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।
- 3/ समसंख्यक आदेश दिनांक 22.06.2018 कडिका 14 में पाठ्यक्रम प्रारंभ की तिथि 01 अगस्त 2018 के स्थान पर 17 सितम्बर 2018 होगी। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रमोद सिंह) 16/8/18
उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल दिनांक 16-08-18

पृ० कमांक एफ 44-10/2018/20-2:
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास/लोक शिक्षण/म0प्र0 भोपाल।
4. समस्त जिला कलेक्टर (म0प्र0)।
5. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (म0प्र0)
6. जिला शिक्षा अधिकारी/आदिवासी विकास समस्त (म0प्र0)
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त (म0प्र0)
8. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त प्राचार्य अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डी.एल.एड), म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. एज्युकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

(प्रमोद सिंह) 16/8/18
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग